



एस.सी.ई.आर.टी., बिहार
द्वारा विकसित

SEP-2

दो वर्षीय सेवापूर्व डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन



राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.),
महेन्द्र, पटना, बिहार

पाठ्य पुस्तक विकास समूह

पत्र—SEP-2

(विद्यालय अनुभव कार्यक्रम—2 : इंटर्नशीप)

दिशाबोध	श्री दीपक कुमार सिंह, भा.प्र.से., अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना श्री सज्जन राजसेकर, भा.प्र.से., निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्र, बिहार, पटना डॉ० एस.पी.सिन्हा, सलाहकार, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
समन्वयक	डॉ. वीर कुमारी कुजूर, विभाग प्रभारी, शिक्षणशास्त्र, पाठ्यचर्चा, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग, एस.सी.ई.आर.टी, पटना
लेखक समूह	डॉ. अनुज कुमार, प्रभारी प्राचार्य, पी.टी.ई.सी. सासाराम प्रतिनियुक्त सी.टी. ई., सहरसा
	डॉ. श्रवण कुमार, प्रतिनियुक्त व्याख्याता, एस.सी.आर.टी. पटना
	डॉ. चन्द्रमौली त्रिपाठी, प्रभारी प्राचार्य, डायट छतौनी, मोतिहारी
	श्री विवेक कुमार रजक, व्याख्याता, डायट डुमरौव, बक्सर
समीक्षक	डॉ. निरुपम भारती, प्रभारी प्राचार्या पी.टी.ई.सी. विष्णुपुर ,बेगुसराय

पाठ-सूची

इकाई	इकाई का नाम	पृष्ठ संख्या
1	शिक्षण अभ्यास	4-8
2	बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन	20-21
3	बच्चों के सह-शैक्षिक विकास का अध्ययन	22-24
4	सामुदायिक कार्य	25-35
5	संदर्भ सूची	36

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम - 2

(SEP-2)

इंटरनशिप

परिचय

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम-2 में प्रशिक्षुओं द्वारा विद्यालय में होने वाले कार्यों एवं गतिविधियों का अनुभव प्राप्त करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षुओं में अपने शिक्षण व विद्यालय में अपनी भूमिका के प्रति एक आलोचनात्मक एवं मननशील दृष्टिकोण विकसित करना है। प्रशिक्षु इन अनुभवों का उपयोग अपने शिक्षण को बेहतर बनाने में कर पायेंगे।

उद्देश्य

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम-2 के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हो सकते हैं:-

- डी.एल.एड. प्रथम वर्ष के विद्यालय अनुभव कार्यक्रम से प्राप्त समझ को विस्तारित करना।
- प्रशिक्षुओं में कक्षा-कक्ष में विभिन्न विषयों के शिक्षण से संबंधित योजना निर्माण, शिक्षण-अभ्यास तथा अपने शिक्षण के मूल्यांकन की समझ विकसित करना।
- विद्यालयी विषयों के शिक्षण के अंतर्गत आनेवाली समस्याओं का एक्शन रिसर्च के माध्यम से समाधान करना।
- प्रशिक्षुओं में कक्षा के बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन करने की समझ को विकसित करना।
- प्रशिक्षुओं में बच्चों के सह-शैक्षिक (Co-scholastic) पक्षों के विकास का अध्ययन की समझ का विकास करना।
- प्रशिक्षुओं में विद्यालय एवं आसपास के समुदाय के अंतर्संबंध की समझ को विकसित करना तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों में भागीदारी करने की समझ का विकास करना।

अवधि

SEP-2 सोलह सप्ताह का है। 16 में से 14 सप्ताह का कार्यक्रम विद्यालय के अन्दर की गतिविधियों के लिए तथा बाकी 2 सप्ताह को समुदाय से संबंधित कार्यों को करने के लिए रखा गया है।

द्वितीय वर्ष में SEP-2 के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य:-

SEP-2 में निम्नलिखित कार्य प्रशिक्षुओं द्वारा किए जायेंगे:-

1. शिक्षण-अभ्यास
2. बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन
3. बच्चों के सह-शैक्षिक विकास का अध्ययन
4. सामुदायिक कार्य

SEP-2 के मूल्यांकन की रूपरेखा

SEP-2 में डी.एल.एड. प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन दो चरणों में होगा।

चरण 1 में आंतरिक तथा चरण 2 में बाह्य मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन में प्रशिक्षण संस्थान के मेंटर-सह-व्याख्याता की अहम भूमिका होगी, जबकि बाह्य मूल्यांकन का कार्य SCERT, पटना, बिहार द्वारा निर्धारित होगा।

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम - 2							
क्रमांक	प्रशिक्षु द्वारा किए जाने वाले कार्य	मूल्यांकन चरण 1		मूल्यांकन चरण 2			
		मेंटर-सह-मूल्यांकनकर्ता		अंक	मूल्यांकनकर्ता	अंक	
1	शिक्षण अभ्यास	प्रत्येक विषय के लिखित लर्निंग प्लान की समीक्षा, प्रशिक्षण केंद्र पर प्रति विषय डिमोंस्ट्रेशन, लर्निंग प्लान की आलोचनात्मक समीक्षा, प्रति विषय एक-एक एक्शन रिसर्च की समीक्षा		150	एस.सी.ई.आर.टी., पटना, बिहार द्वारा निर्धारित	50	
		क्रमांक	लर्निंग प्लान के विषय				अंक
		1	गणित (प्राथमिक स्तर)				30
		2	हिंदी (प्राथमिक स्तर)				30
		3	अंग्रेजी (प्राथमिक स्तर)				30
		4	पर्यावरण अध्ययन				30
		5	उच्च प्राथमिक स्तर से चयनित एक विषय				30
		उपरोक्त प्रति विषय दिए गए 30 अंको का विवरण निम्नवत है-					
1. 15 अंक प्रति विषय 15 लर्निंग प्लान पर। 2. 10 अंक प्रति विषय कम से कम एक डिमोंस्ट्रेशन शिक्षण पर। 3. 05 अंक प्रति विषय एक-एक एक्शन रिसर्च पर।							

		प्रशिक्षु को विद्यालय पर्यवेक्षण के लिए आवंटित मेंटर-सह-व्याख्याता द्वारा कक्षा-शिक्षण की समीक्षा तथा मूल्यांकन प्रति विषय कम से कम 2 तथा कुल 10 कक्षा शिक्षण की समीक्षा व मूल्यांकन।	100		
2	बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन	प्रशिक्षु को आवंटित मेंटर-सह-व्याख्याता द्वारा समीक्षा व मूल्यांकन	15	एस.सी.ई.आर.टी., पटना, बिहार द्वारा निर्धारित	15
3	बच्चों के सह-शैक्षणिक विकास का अध्ययन	प्रशिक्षु को आवंटित मेंटर सह-व्याख्याता द्वारा समीक्षा व मूल्यांकन	15	एस.सी.ई.आर.टी., पटना, बिहार द्वारा निर्धारित	15
4	सामुदायिक कार्य	प्रशिक्षु को आवंटित मेंटर सह व्याख्याता द्वारा समीक्षा व मूल्यांकन	20	एस.सी.ई.आर.टी., पटना, बिहार द्वारा निर्धारित	20
		कुल अंक	300		100

[illegible]

शिक्षण—अभ्यास

Teaching Practice

शिक्षण—अभ्यास शिक्षक बनने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसके माध्यम से प्रशिक्षु—छात्र वर्ग कक्ष में विद्यार्थियों को क्या सीखाना है? कैसे सिखाना है? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शिक्षण—अभ्यास द्वारा प्रशिक्षु अपने शिक्षण कौशल को बेहतर बनाता है जिससे उनमें निपुणता आती है। यही कारण है कि डी.एल.एड. स्तर पर शिक्षण अभ्यास पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद्, पटना, बिहार द्वारा सेवापूर्व दो वर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु विकसित एवं शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यचर्या की रूपरेखा तथा पाठ्यक्रम में भी शिक्षण अभ्यास को शामिल किया गया है।

शिक्षण अभ्यास द्वारा प्रशिक्षु प्रयोगशाला विद्यालय में अपने अनुभवों को संग्रहित करता है तथा भविष्य में इसका उपयोग अपने जीवन तथा कार्यक्षेत्र में करता है। एक छात्राध्यापक इंटर्नशिप के दौरान शिक्षण योजना बनाते हैं तथा उसे प्रयोगशाला विद्यालय में बच्चों पर लागू भी करते हैं। अगर योजना सही ढंग से क्रियान्वित होती है तो उनका शिक्षण कारगर होता है, नहीं तो वे पुनः अपनी योजना में परिवर्तन एवं परिमार्जन कर सुधार करते हैं तथा बच्चों को सीखाने का कार्य करते रहते हैं। शिक्षण योजना द्वारा सीखने—सिखाने की प्रक्रिया में सहयोग मिलता है। इसके माध्यम से प्रशिक्षुओं में आलोचनात्मक समझ का विकास होता है। वे समाज में अपनी भूमिका को कारगर बनाते हैं। एक शिक्षक समाज में व्याप्त रूढ़िगत मान्यताओं के विरुद्ध हस्तक्षेप करता है तथा नई भूमिका का सृजन करता है। वह वर्ग कक्ष में लोकतांत्रिक पद्धति से कार्य करता है।

SCERT, पटना द्वारा विकसित 'सीखने की योजना' इस दिशा में एक सफल प्रयास है, जिसके माध्यम से प्रशिक्षु अपने शिक्षण अभ्यास को बेहतर बनाते हैं। 'सीखने की योजना' न केवल बच्चों के सीखने की तैयारी मात्र है, बल्कि इसमें शिक्षक एवं विद्यार्थी की रणनीति बनाने एवं मूल्यांकन करने में सक्रिय भागदारी है। सीखने की योजना का निर्माण कक्षा की वास्तविक परिस्थितियों में ही होता है। इस योजना में शिक्षक तीन स्तर पर अपनी तैयारी करता है — शिक्षण से पहले किए जाने वाले कार्य, शिक्षण के दौरान किए जाने वाले कार्य तथा शिक्षण के बाद किए जाने वाले कार्य।

डी.एल.एड. प्रशिक्षु सीखने की योजना को बनाकर अपने व्याख्याता—सह—पर्यवेक्षक से सुझाव लेंगे तथा प्रशिक्षण केंद्र पर एक 'सीखने की योजना' का डिमोंस्ट्रेशन करेंगे तथा प्रति विषय एक—एक एक्शन रिसर्च का रिपोर्ट लिखकर अपने प्रशिक्षण केंद्र पर जमा करेंगे।

अवधि

- लगातार चौदह सप्ताह (द्वितीय वर्ष के दौरान)
- प्रति सप्ताह पाँच (05) दिन (सोमवार — शुक्रवार)
- शनिवार:— योजना निर्माण, तैयारी व परामर्श सत्र के लिए प्रशिक्षण केंद्र पर विचार—विमर्श।

सीखने की योजना (Learning Plan):

- कुल मिलाकर न्यूनतम 75 लर्निंग प्लान का निर्माण एवं शिक्षण।
- प्रति विषय न्यूनतम 15 लर्निंग प्लान का निर्माण एवं शिक्षण।
- प्राथमिक स्तर के चार विषय तथा उच्च प्राथमिक स्तर का एक विषय, कुल मिलाकर पांच विषय
- प्रति विषय न्यूनतम दो लर्निंग प्लान के लिखित प्रारूप का संबंधित व्याख्याता द्वारा समीक्षा।
- प्रति विषय न्यूनतम एक लर्निंग प्लान का प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षु द्वारा डिमोंस्ट्रेशन शिक्षण पर आलोचनात्मक समीक्षा।
- प्रति विषय 02 लर्निंग प्लान का विद्यालय में शिक्षण का पर्यवेक्षण तथा समीक्षा।

- प्रति विषय न्यूनतम एक-एक लर्निंग प्लान के लिखित प्रारूप तथा कक्षा शिक्षण का बाह्य मूल्यांकन।
- प्रति सप्ताह न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 8 लर्निंग प्लान का निर्माण एवं शिक्षण।

उद्देश्य

शिक्षण अभ्यास के निम्नांकित उद्देश्य हो सकते हैं:-

- 1- प्रशिक्षुओं में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना।
- 2- प्रशिक्षुओं को पाठ सीखने सिखाने के लिए तैयार करना।
- 3- प्रशिक्षुओं को उपयुक्त शिक्षण विधियों सह ICT को अपनाने हेतु जागरूक करना।
- 4- प्रशिक्षुओं को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तरीकों को विकसित करने में मदद करना।
- 5- प्रशिक्षुओं को सीखने हेतु संसाधनों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करना।
- 6- प्रशिक्षुओं में विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षण कौशल का विकास करना।

विशिष्ट निर्देश

सीखने की एक योजना/लर्निंग प्लान से तात्पर्य एक अध्याय/इकाई से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य एक कालांश के लिए शिक्षण की रूप रेखा है। एक-ही अध्याय अथवा इकाई में इसके कई शीर्षकों व अवधारणाओं को लेकर कई लर्निंग प्लान बनाए जा सकते हैं।

आगे 'हिंदी भाषा' के एक विषयवस्तु जिसका शीर्षक 'देश हमारा' द्वारा उदाहरण देकर एक नये "सीखने की योजना" का निर्माण किया गया है। प्रशिक्षु इस आधार पर सीखने की योजना बना सकते हैं:-

सीखने की योजना (लर्निंग प्लान)

शिक्षक/शिक्षिका का नाम – क ख ग

कक्षा – 3

तिथि– 16.02.2023

कालांश – 1 ली

इकाई– 01

विषय – हिंदी

विषयवस्तु – देश हमारा

(शिक्षण से पहले किए जाने वाले कार्य)

विषयवस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा –

1. (क) नये विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है।

√

- (ख) पिछले कालांश का विस्तार करना है।

2. यह विषय-वस्तु इस कक्षा के पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन उद्देश्यों/बिन्दुओं से जुड़ा है?

- i. बच्चों में भाषायी समझ का विकास
- ii. सस्वर वाचन करने की क्षमता का विकास
- iii. शुद्ध-शुद्ध बोलना, लिखने की क्षमता का विकास, आदि।

3. क्या यह विषय वस्तु पूर्ववत कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल है? कैसे?
नहीं

4. क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है? हाँ ☐ नहीं ☐

5. यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन-किन विषयों/इकाईयों से जुड़ा है?
'पर्यावरण और हम' विषय से भी जुड़ा हुआ है जिनमें 'हमारे पशु पक्षी' और 'आस-पड़ोस', पाठ में इसके संदर्भ मिलते हैं।

6. कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है?
बहुत कम ☐ थोड़ा बहुत ☐ बहुत अधिक ☐

7. विषय-वस्तु/उपविषय वस्तु का विवरण (संक्षिप्त परिचय तथा क्या महत्वपूर्ण है)
देश हमारा कविता पाठ अपने भारत देश के बारे में लिखी गई कविता है। इस कविता में कवि बच्चों को यह संदेश देना चाहता है कि हमारा देश भारत सुंदर देश है। यह प्यारा देश है। यह सबसे अलग देश है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता निराली है। यहाँ नदियाँ जल से भरी रहती हैं। यहाँ रंग-विरंगे पंक्षी रहते हैं जो कलोल करते रहते हैं। यहाँ मोर, पपीहा, तोता, कोयल आदि पक्षी पाये जाते हैं। कोयल मीठी बोल बोलती है। हमारा देश विश्व में प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है।

8. सीखने-सिखाने की विधि/विधियाँ: प्रशिक्षु इसमें स्थानीय स्तर पर कई विधियों का चुनाव कर सकते हैं। रुचिकर विधियों द्वारा पाठ को बेहतर बनाया जायेगा। प्रशिक्षु अपनी सुविधानुसार उपयुक्त एक या दो रुचिकर विधि का चुनाव कर सकते हैं।

- सामूहिक चर्चा: इस विधि द्वारा प्रशिक्षु बच्चों को सस्वर वाचन द्वारा लयबद्ध तरीके से अभ्यास करायेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा सस्वर वाचन का अनुकरण करेंगे।
- समूह कार्य: प्रशिक्षुओं द्वारा बच्चों को कुछ समूहों में बाँटकर कार्य दिए जा सकते हैं, जैसे – कार्ड बोर्ड पर पेंटिंग कार्य (विभिन्न रंग के पशु-पक्षियों पर)
- खेल विधि: इस पाठ का खेल विधि के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जा सकता है, जैसे – कार्ड बोर्ड पर पक्षी के चित्र एवं नाम लिखकर खेल-खेल में विभिन्न पक्षियों के नाम जान सकेंगे तथा आनंद भी प्राप्त करेंगे।

- खोज विधि: इस विधि द्वारा भी बच्चों में खोजी प्रवृत्ति को विकसित किया जा सकता है, जैसे – बच्चों को गृहकार्य के द्वारा अपने आस-पड़ोस में स्थित नदियों, तालाबों, नहरों, पशु-पक्षी के बारे में जानकारी दी जा सकती है।

प्रशिक्षु अपनी सुविधानुसार पाठ से संबंधित उपयोगी विधि को अपना सकते हैं।

9. विधि/विधियों को क्यों चुना गया (शिक्षाशास्त्रीय चयन का आधार)

इन विधियों को इसलिए चुना गया कि ये सभी गतिविधि आधारित हैं। इसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी है। इसके द्वारा बच्चे कर के सीखते हैं। ये बच्चों के लिए आनन्ददायी विधियाँ हैं। बच्चों को समझने में सरल एवं सुगम है।

10. सीखने की योजना का सक्षिप्त विवरण:-

वर्ग 40 मिनट का है। इस वर्ग में प्रशिक्षुओं को समय का विभाजन इस ढंग से करना है कि पाठ की प्रस्तुति सही ढंग से हो सके। प्रथम 5 मिनट में प्रशिक्षु बच्चों की उपस्थिति एवं परिचय प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात् 10 मिनट की अवधि में बच्चों पाठ का सस्वर वाचन करेंगे तथा उसका अनुकरण करेंगे। इस गतिविधि को करने के पश्चात् शिक्षक श्यामपट्ट पर इस कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ लिखेंगे। अगले 15 मिनट में प्रशिक्षु बच्चों को विभिन्न रंगों वाले पक्षियों के बोलियों से उनकी पहचान कराएंगे। यह गतिविधि बच्चे एवं प्रशिक्षु-छात्र मिलकर करेंगे। इसे कार्ड बोर्ड पर चित्र बनाकर प्रदर्शित कर समझाएंगे। 5 मिनट में कुछ बच्चों से पाठ की पुनरावृत्ति कराएंगे तथा अंतिम 5 मिनट में बच्चों के गृह कार्य दिए जा सकते हैं। इस योजना में परिवर्तन भी किया जा सकता है। प्रशिक्षु विद्यालयी संदर्भ में योजना का निर्माण करेंगे। आवश्यकतानुरूप ऑडियो वीडियो क्लिप का उपयोग भी किया जा सकता है।

शिक्षण पश्चात् कार्य/गतिविधि

प्रशिक्षु शिक्षक/शिक्षिका द्वारा स्वमूल्यांकन के सुझावात्मक बिंदु:-

1. क्या विद्यार्थी ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषयवस्तु थी?
इसका मूल्यांकन किया या नहीं? – हाँ
2. क्या इस विषयवस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है? क्यों? क्यों नहीं?
– हाँ, क्योंकि बच्चे बार-बार पक्षियों की बोलियों द्वारा नई-नई आवाजों को सुनना पसंद करते हैं।
3. विद्यार्थी द्वारा पूछे गये प्रमुख सवाल क्या थे? कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे?

प्रमुख सवाल – हमारे देश का नाम क्या है?

किस पक्षी की बोली मीठी होती है?

नदियों में पानी कहाँ से आता है?

पर्वत ऊँचा है, क्यों?

4. मैंने उन सवालों को कैसे समझाया? क्या विद्यार्थियों को स्वयं उन सवालों को हल करने का मौका मिला?
– मैंने उन सवालों को सहज/सरल ढंग से समझाया। बच्चों को अपने से करके सीखने का मौका दिया गया।
5. इस विषय वस्तु के सीखने-सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया? उसकी उपयोगिता क्या रही?
– कार्ड-बोर्ड, श्यामपट्ट, चित्र, Audio & video clip इत्यादि।
इसकी उपयोगिता सार्थक रही।
6. इस विषय को यदि दुबारा पढ़ना हो तो मैं सीखने-सिखाने की योजना में क्या बदलाव करूँगा?
– अगर संभव हो तो बच्चों को परिवेश से जोड़ते हुए नदी, तालाब, झरनों, पर्वत को प्रत्यक्ष दिखलाते हुए बेहतर ढंग से बताने की कोशिश करूँगा।

7. इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसा सवाल जिसे अपने संस्थान के विषय विशेषज्ञ तथा मेंटर से चर्चा करने की आवश्यकता है?
— नहीं।
8. कोई अन्य टिप्पणी।

शिक्षण के दौरान किया जाने वाला कार्य

1. अवलोकनात्मक बिंदु:—

मेंटर/अवलोकनकर्ता की टिप्पणी: कक्षा में प्रत्यक्ष रूप से आप जो अवलोकित कर रहे हैं उसे नीचे लिखें:—

इसमें अवलोकनकर्ता निष्पक्ष होकर अपनी टिप्पणी देंगे ताकि प्रशिक्षु अपने सीखने की योजना को सुधार कर बेहतर बनायेंगे।

उदाहरणस्वरूप — वर्ग कक्ष में शोरगुल,

सभी बच्चों को गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश,

वर्ग-कक्ष अव्यवस्थित इत्यादि।

2. समीक्षात्मक बिंदु:—

NCF 2005, BCF 2008 तथा NCFTE 2009 द्वारा सुझाए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में कक्षा में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया की समीक्षा। प्रशिक्षु से और क्या-क्या अपेक्षा की जा सकती है?

उदाहरण — ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना अर्थात् वर्ग कक्ष से बाहर भी इसे बेहतर करना, लोकातांत्रिक प्रक्रिया का अनुकरण, समावेशी माहौल में शिक्षा का कार्य हो, बच्चों को समझकर सीखने हेतु प्रेरित करना इत्यादि।

संदर्भ:— NCF 2005
BCF 2008
NCFTE 2009
NPE 2020

शिक्षण अभ्यास

मूल्यांकन के प्रश्न

- 1- शिक्षण अभ्यास से क्या समझते हैं? एक शिक्षक के लिए शिक्षण अभ्यास क्यों जरूरी है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें।
- 2- सीखने की योजना से क्या समझते हैं? प्राथमिक स्तर के किसी एक विषय वस्तु पर सीखने की योजना का निर्माण करें?
- 3- सीखने की योजना में 'योजना' के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।

मेंटर/पर्यवेक्षक द्वारा प्रशिक्षु के मूल्यांकन का प्रपत्र

कार्यस्थल का नाम (Name of the working Place).....कक्षा(class).....

शिक्षक-प्रशिक्षु का नाम(Name of the Teacher-Trainee).....विषय (Subject).....

नामांकन संख्या(EnrollmenNo.).....प्रकरण(Topic).....

पर्यवेक्षक/परामर्शदाता का नाम(Name of Supervisor/Mentor).....

आयाम/तत्व (मानक/शिक्षक व्यवहार)	क्रम निर्धारण				
	5. श्रेष्ठ	4. बहुत अच्छा	3. अच्छा	2. औसत	1. असंतोषजनक
1. सीखने की योजना(Learning Plan)					
(1) अधिगम के उद्देश्य (Learning Objectives)	5	4	3	2	1
(2) विषय-वस्तु (शिक्षण बिन्दु एवं पूर्व ज्ञान) [Content (Teaching points and Previous Knowledge)]	5	4	3	2	1
(3) अधिगम गतिविधियाँ (Learning Activities)	5	4	3	2	1
(4) मूल्यांकन : फॉर्मेटिक व समेटिव (Evaluation : Formative & Summative)	5	4	3	2	1

2 . अधिगम परिस्थितियाँ (Learning Situations)					
(अ) विषय में दक्षता (Subject competency)					
(1)पाठ की प्रस्तावना (Introduction to lesson)	5	4	3	2	1
(2)पाठ का विकास (Development of the Lesson)	5	4	3	2	1
(3)विषय में आत्मविश्वास (Confidence in the subject)	5	4	3	2	1
(ब) शिक्षक मार्गदर्शन (Teacher Guidance)					
(1) अधिगमकर्ता द्वारा अन्य विषयों से एकीकृत/सहसम्बन्धित होना (Integrating/Correlation with other subject by the Learners)	5	4	3	2	1
(2) छात्रों द्वारा प्रश्न पूछने को प्रोत्साहन देना (Encouraging Questioning by the Learners)	5	4	3	2	1
(3) शिक्षण-अधिगम सामग्री का प्रयोग (Use of Teaching-Learning Materials)	5	4	3	2	1
(स) पाठ में छात्रों की सहभागिता एवं उसका प्रबंधन (Pupils's Participation in the Lesson and its Management)					
(1) छात्रों की सहभागिता (Pupil's Participation)	5	4	3	2	1
(2) पाठ का उपसंहार (Closure of the Lesson)	5	4	3	2	1
(3) कक्षा का प्रबंधन (Classroom Management)	5	4	3	2	1
(द) छात्र मूल्यांकन (pupil Evaluation)					
(1) मूल्यांकन (Evaluation)	5	4	3	2	1
(2) अनुकरणात्मक (फॉलो-अप) (Follow Up)	5	4	3	2	1

पर्यवेक्षक/परामर्शदाता के हस्ताक्षर

(signature fo the Supervisor/Mentor)

क्रियात्मक शोध (Action Research)

परिचय

शिक्षक वर्ग—कक्ष में अध्यापन करते समय अनेक समस्याओं का सामना करते हैं। जब वह इन समस्याओं का निदान अध्यापन कार्य करते हुए करता है तो इसे क्रियात्मक शोध कहा जाता है। यह शोध विद्यालय में विभिन्न विषयों से जुड़ी हो सकती है। इसका क्षेत्र शिक्षक की अध्यापन शैली, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन पद्धति से भी जुड़ा हुआ है। शिक्षक इन समस्याओं का निदान वैज्ञानिक पद्धति से करता है। राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद्, पटना, बिहार द्वारा सेवापूर्व दो वर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु विकसित एवं शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यचर्या की रूपरेखा तथा पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के दौरान क्रियात्मक शोध प्रशिक्षुओं द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

प्रथम वर्ष में प्रशिक्षुओं को प्रयोगशाला विद्यालय (Lab School) के कक्षायी शिक्षण एवं गतिविधियों का अवलोकनोपरांत क्रियात्मक शोध की विषय वस्तु संबंधित एक शोध प्रारूप (Synopsis) प्रशिक्षण केंद्र पर जमा करना होता है, जबकि द्वितीय वर्ष में प्रशिक्षु शिक्षण अभ्यास के दौरान प्राथमिक स्तर के 4 विषय तथा उच्च प्राथमिक स्तर के 1 विषय पर क्रियात्मक शोध की रिपोर्ट को जमा करेंगे। इसके माध्यम से प्रशिक्षु अपने प्रयोगशाला विद्यालय में विद्यार्थियों के शिक्षण से संबंधित समस्याओं को हल कराना सीख सकेंगे।

उद्देश्य

1. डी.एल.एड. प्रशिक्षुओं की शिक्षण विधि में सुधार लाना।
2. डी.एल.एड. प्रशिक्षुओं में कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाना।
3. प्रशिक्षुओं में कृत परिकल्पना (Action Hypothesis) की समझ का विकास करना।
4. प्रशिक्षुओं में क्रियात्मक शोध के शैक्षिक निहितार्थों की समझ का विकास करना।
5. प्रशिक्षुओं में आँकड़ों को इकट्ठा करने एवं उसका विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करना।

अंक निर्धारण

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम 1 एवं 2 में अंक निर्धारण क्रियात्मक शोध के लिए निम्नवत है—

SEP – 1 में क्रियात्मक शोध – 30 अंक तथा SEP – 2 में क्रियात्मक शोध – 50 अंक (25 अंक आंतरिक मूल्यांकन तथा 25 अंक बाह्य मूल्यांकन) का होगा। द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुओं को गणित (प्राथमिक स्तर), हिंदी (प्राथमिक स्तर), अंग्रेजी (प्राथमिक स्तर) तथा पर्यावरण अध्ययन एवं उच्च प्राथमिक स्तर के किसी एक विषय पर एक-एक क्रियात्मक शोध करना होगा। प्रत्येक विषय में 5 अंक निर्धारित हैं, यानि 5 विषय में प्रशिक्षुओं को क्रियात्मक शोध करने पर कुल 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गये हैं। यह कार्य प्रशिक्षुओं को शिक्षण अभ्यास के दौरान करना है। बाह्य मूल्यांकन के दौरान भी प्रशिक्षुओं के लिए 25 अंक एक्शन रिसर्च पर निर्धारित किए गए हैं अर्थात् कुल मिलाकर SEP – 2 में 50 अंक एक्शन रिसर्च पर निर्धारित किए गये हैं। अतः एक्शन रिसर्च प्रशिक्षुओं के लिए अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण हो जाता है।

अगले पृष्ठ पर प्रशिक्षुओं के अवलोकनार्थ क्रियात्मक शोध के रिपोर्ट को तैयार करने हेतु एक रूपरेखा उदाहरण सहित दी जा रही है जिसे प्रशिक्षु अपने रिपोर्ट लेखन में मदद प्राप्त कर सकते हैं।

FORMAT OF ACTION RESEARCH REPORT

प्रतिवेदन हेतु क्रियात्मक शोध की रूपरेखा/प्रारूप उदाहरण सहित (काल्पनिक)

COVER PAGE

1. संस्था का नाम:— जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।
शैक्षणिक सत्र:— 2021-23
शीर्षक:— प्राथमिक विद्यालय रामनगर, पूर्वी चम्पारण के वर्ग 5 के हिंदी विषय में कुछ बच्चों को मात्राओं का ज्ञान कराना।
शोधार्थी का नाम एवं पता:— महेंद्र कुमार, रौल नं.- 15, मोतीझील मोतिहारी।
मार्गदर्शक (Guide) का नाम व पता:— अंकुर पालित, व्याख्याता, डायट, पूर्वी चम्पारण।
एक Inner Page पर भी यही तथ्य लिखे जायेंगे।
2. आभार (Acknowledgement):— इसमें प्रशिक्षु उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने क्रियात्मक शोध को करने में उनकी मदद की है। जैसे — मेंटर, विषय विशेषज्ञ, माता-पिता, डायट के प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य व्यक्ति जिनके सहयोग से क्रियात्मक शोध का कार्य संपन्न हुआ है। यह कार्य कम-से-कम 1 पेज में करना है।
3. शोध में उपयोग में लाए गये शब्दों की व्याख्या:— (abbreviation)
जैसे— UMS — उत्क्रमित मध्य विद्यालय।
PS — प्राथमिक विद्यालय।
DIET — जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
PTEC — प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय।
SCERT — राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण, पटना।
D.El.Ed. — डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इत्यादि।
4. अनुक्रमणिका (INDEX):—
क्रम संख्या विवरण पृष्ठ संख्या अभ्युक्ति

भाग — 1 (CHAPTER — 1)

1.1 भूमिका/परिचय:— क्रियात्मक शोध की भूमिका/परिचय में प्रशिक्षु क्रियात्मक शोध से संबंधित समस्या का परिचय देंगे। इसकी भूमिका को निम्न प्रकार से लिखेंगे:—

(क) समस्या की पृष्ठ भूमि — इसमें प्रशिक्षुओं को समस्या के बारे में जानकारी देनी होगी। उदाहरणार्थ — अगर समस्या वर्ग 5 के हिंदी विषय में मात्राओं के ज्ञान न होना है तो इसको बताना होगा कि यह समस्या कैसे है? इसके लिए विद्यालय में व्याप्त समस्या के बारे में बताना होगा। समस्या क्यों है? किन-किन बच्चों में है? बच्चों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठ भूमि पर चर्चा करनी होगी।

(ख) समस्या की आवश्यकता एवं उपयोगिता— इस समस्या की उपयोगिता शिक्षक के लिए क्यों है? इस पर चर्चा करनी है।

(ग) समस्या का पहचान कैसे की? — शोधार्थी ने समस्या की पहचान कैसे की? इसके बारे में यहाँ चर्चा करनी है।

(घ) समस्या का क्षेत्र — क्या यह समस्या वर्ग 5 के सभी बच्चों में है? अथवा वे कौन-कौन से बच्चे हैं जो मात्राओं को समझ नहीं पाते हैं? इसका क्षेत्र का संबंध बतलाना है।

(ङ) समस्या की तार्किकता — यह समस्या एक समस्या है? क्यों? इस पर चर्चा करनी है। इसके तार्किक आधार को बताना है।

1.2 शीर्षक (Title of the problem)

(उदाहरण) – प्राथमिक विद्यालय रामनगर, पूर्वी चम्पारण के वर्ग 5 के हिंदी विषय में कुछ बच्चों को मात्राओं का ज्ञान कराना।

समस्या कथन (Statement of the problem) – प्राथमिक विद्यालय रामनगर, पूर्वी चम्पारण के वर्ग 5 के हिंदी विषय में कुछ बच्चों को मात्रा का ज्ञान न होना।

1.3 क्रियात्मक शोध के उद्देश्य – क्रियात्मक शोध के निम्नांकित उद्देश्य हो सकते हैं। प्रशिक्षु उद्देश्यों को क्रमानुसार लिखेंगे।

उदाहरण –

- i. प्राथमिक विद्यालय रामनगर, पूर्वी चम्पारण के वर्ग 5 के हिंदी विषय में पढ़ने वाले बच्चों को चिन्हित करना जिन्हें मात्रा का ज्ञान नहीं है।
- ii. उक्त विद्यालय में पढ़ने वाले (वर्ग-5) बच्चों से संबंधित समस्या के कारणों का पता लगाना।
- iii. उक्त विद्यालय में वर्ग 5 में पढ़ने वाले बच्चों के समस्या के कारणों के आधार पर एक कार्ययोजना बनाना।
- iv. उक्त विद्यालय में वर्ग 5 में पढ़ने वाले बच्चों पर कार्ययोजना लागू करना।
- v. कार्य-योजना की प्रगति का पुनर्वीक्षण (Monitoring) करना।
- vi. अगर योजना सफल नहीं होती है तो पुनः बनाना एवं लागू करना।

1.4 शोध प्रश्न (Research Question)

प्रशिक्षु क्रियात्मक शोध के उद्देश्यों में “क्या, कौन, कैसे, क्यों, कहाँ, कब आदि प्रश्न लगाकर शोध प्रश्न का निर्माण करेंगे।

कुछ शोध प्रश्न निम्न प्रकार लिखे जा सकते हैं:-

उदाहरण –

- i. प्राथमिक विद्यालय रामनगर, पूर्वी चम्पारण के वर्ग 5 के हिंदी विषय में वे कौन-कौन से बच्चे हैं जिन्हें मात्राओं का ज्ञान नहीं है?
- ii. उक्त विद्यालय के चिन्हित बच्चों से संबंधित समस्या के कारणों को पता कैसे करेंगे?
- iii. उक्त विद्यालय के चिन्हित बच्चों से संबंधित क्या कार्य योजना हो सकती है?
- iv. उक्त विद्यालय के चिन्हित बच्चों से संबंधित कार्य योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार करेंगे?

इस प्रकार शोधार्थी शोध प्रश्न द्वारा समस्या की गंभीरता को समझेंगे तथा उसके निदान हेतु उपाय करेंगे।

1.5 कृत परिकल्पना (Action Hypothesis)

क्रियात्मक शोध के निम्नांकित कृत परिकल्पना हो सकते हैं:-

उदाहरण –

- i. अगर शिक्षक द्वारा बच्चों को रुचिकर ढंग से मात्राओं का ज्ञान कराया जाय तो वे सीख सकेंगे।
 - ii. यदि बच्चों को नियमित रूप से मात्राओं को बताया जाय तो वे सीख पायेंगे।
 - iii. यदि चिन्हित बच्चों पर माता-पिता ध्यान देंगे तो वे मात्रा का ज्ञान सीख पायेंगे।
- इस प्रकार प्रशिक्षु 5-10 कृत परिकल्पना निर्माण करेंगे तथा क्रियात्मक शोध की समस्या के निदान हेतु उपाय करेंगे।

1.6 समस्या के संभावित कारण

क्रियात्मक शोध के समस्या के निम्नांकित संभावित कारण हो सकते हैं:-

उदाहरण –

- i. प्राथमिक विद्यालय रामनगर, पूर्वी चम्पारण के वर्ग 5 के मात्रा का ज्ञान न रखने वाले बच्चों में रुचि का अभाव।
- ii. उक्त विद्यालय के चिन्हित बच्चों की अनियमित उपस्थिति।
- iii. उक्त विद्यालय में अनियमित वर्ग संचालन।
- iv. उक्त विद्यालय में शिक्षण कार्य का आनंददायी न होना।

1.7 समस्या का परिसीमन तथा सीमांकन (Limitation and delimitation of the problem)

उदाहरण – प्राथमिक विद्यालय रामनगर, पूर्वी चम्पारण के वर्ग 5 के हिंदी विषय में कुछ बच्चों को मात्रा का ज्ञान न होना समस्या से संबंधित परिसीमन तथा सीमांकन निम्नवत हो सकती है:—

उदाहरण –

यह समस्या राजस्व गाँव रामनगर के प्राथमिक विद्यालय से संबंधित है। यह वर्ग 5 के हिंदी विषय में पढ़ने वाले उन बच्चों से संबंधित है जिन्हें मात्रा का ज्ञान नहीं है। इनकी संख्या लगभग 17 है जो कुल 42 में से है। यह विद्यालय जिला पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में स्थित है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं।

पाठ – 2 (CHAPTER – 2)

इसके अंतर्गत प्रशिक्षु इस शोध से जुड़े सन्दर्भ साहित्य की समीक्षा करेंगे।

उदाहरण —NCF 2005

BCF 2008

NCFTE 2009

NPE 2020

कहाँ तक इन साहित्यों के अध्ययन से इस शोध में शोधार्थी को दिशा बोध मिलती है या इससे कुछ निदान करने में सहयोग मिलता है, इसकी समीक्षा करनी है। इसके अलावा कुछ वेब रिसोर्स के बारे में भी समीक्षा कर सकते हैं जैसे—

www.google.co.in

www.teacherofindia.org

www.khanacademy.org

www.ncert.ac.in//actionresearch.in

www.ajimjipremjiinformation.com

प्रशिक्षु यह कार्य एक या दो पेज में करेंगे।

पाठ – 3 (CHAPTER – 3)

3.1. जनसंख्या (Population), नमूना (Sample), विशेषताओं के साथ

उदाहरण — प्रस्तुत शोध प्राथमिक विद्यालय रामनगर, पूर्वी चम्पारण के वर्ग 5 के हिंदी विषय में उन बच्चों से संबंधित है जिन्हें मात्राओं का ज्ञान नहीं है। वर्ग 5 में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 42 है जिनमें से 17 विद्यार्थियों को मात्राओं का ज्ञान नहीं है। यह विद्यालय राजस्व ग्राम रामनगर में अवस्थित है।

3.2. शोध की कार्य प्रणाली (Methodology)

इसकी कार्य प्रणाली इस प्रकार होगी। शोधार्थी समस्या को चिन्हित कर उसके कारणों का पता लगाएँगे तथा उसके लिए कार्य योजना का भी निर्माण कर लागू कर पता लगायेंगे कि समस्या का निदान हो रहा है या नहीं। यदि समस्या का निदान नहीं हो रहा है तो क्यों इसके सम्बन्ध में प्रशिक्षु अपनी कार्ययोजना बनाएँगे।

3.3. समस्या के समाधान हेतु तकनीक तथा उपकरण (Techniques and Tool)

क्रियात्मक शोध के समाधान हेतु निम्नांकित तकनीक एवं उपकरण हो सकते हैं। प्रशिक्षु आवश्यकतानुसार इन तकनीकों का उपयोग समस्या समाधान हेतु करेंगे —

उदाहरण

- i. अवलोकन विधि — प्रशिक्षु अवलोकन द्वारा समस्या से संबंधित आँकड़ों को इकट्ठा कर विश्लेषण करेंगे, जैसे — छात्रोपस्थिति पंजी का अवलोकन, शिक्षक उपस्थिति पंजी का अवलोकन, कक्षाकक्ष का अवलोकन तथा अन्य विद्यालयी गतिविधियों का अवलोकन इत्यादि।
- ii. साक्षात्कार विधि — प्रशिक्षु छात्र/शिक्षक/अभिभावक का साक्षात्कार लेंगे तथा समस्या के निदान का उपाय करेंगे।
- iii. प्रश्नावली विधि — इस विधि द्वारा भी प्रशिक्षु अलग-अलग प्रश्नावली निर्माण कर आँकड़े इकट्ठा करेंगे, जैसे — शिक्षक— प्रश्नावली, छात्र —प्रश्नावली, अभिभावक— प्रश्नावली इत्यादि।
- iv. केस स्टडी — विशेष बच्चों के सन्दर्भ में केस स्टडी भी करेंगे।

- v. फोकस ग्रुप डिस्कशन – किसी समस्या को फोकस कर चर्चा करेंगे।
- vi. उपलब्धि परीक्षण – बच्चों की उपलब्धि की जाँच कर आँकड़े इकट्ठे कर उसका विश्लेषण करेंगे।

उपर्युक्त विधियों में से किन्हीं दो या तीन विधियों का चुनाव कर प्रशिक्षु समस्या से संबंधित आँकड़ों को इकट्ठा करेंगे तथा उसका विश्लेषण कर समस्या समाधान हेतु उपाय करेंगे।

3.4. योजना एवं क्रियान्वयन

क्रियात्मक शोध की समस्या समाधान हेतु क्या योजना बनेगी एवं इसका क्रियान्वयन किस प्रकार करेंगे? इसमें इसका उल्लेख करना है।

उदाहरण

- i. पूर्व परीक्षण – इसके द्वारा बच्चों की वास्तविक स्थिति का पता लगायेंगे कि कितने बच्चों को मात्रा का ज्ञान नहीं है?
- ii. हस्तक्षेप – इसमें शोधार्थी एक निश्चित योजना बनाकर उसे लागू करेंगे। शिक्षण-अभ्यास के दौरान ही चिह्नित बच्चों को रुचिकर ढंग से मात्राओं का ज्ञान नियमित रूप से करावेंगे तथा उसका मूल्यांकन करते रहेंगे।
- iii. अंतिम परीक्षण – इसके माध्यम से शोधार्थी यह पता करेंगे कि उन चिह्नित बच्चों में सुधार हुआ है कि नहीं और हुआ है तो कितने में?
- iv. पुनर्वीक्षण (Monitoring) – कार्य की प्रगति को जानने हेतु पुनर्वीक्षण किया जाएगा।

पाठ – 4 (CHAPTER – 4)

4.1. आँकड़ा संग्रह (Data Collection)

प्रशिक्षु अवलोकन विधि, प्रश्नावली विधि तथा साक्षात्कार विधि आदि विधियों से आँकड़ों को संग्रह करेंगे ताकि उसका विश्लेषण किया जा सके।

4.2. आँकड़ों को अर्थपूर्ण बनाना (Meaningful Data)

संग्रह किए गए आँकड़ों को सजा कर इस प्रकार बनायेंगे कि वे शोध-समस्या के निदान में सहायक हो।

4.3. आँकड़ों का वर्गीकरण

इनका वर्गीकरण समस्या समाधान हेतु करेंगे। जैसे- इससे तालिका बनाकर, ग्राफ बनाकर, वृत्त चित्र, दण्ड आलेख आदि द्वारा समझाएंगे।

पाठ – 5 (CHAPTER – 5)

आँकड़ों का विश्लेषण तथा निष्कर्ष

प्रशिक्षु इससे प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण करेंगे तथा इससे प्राप्त निष्कर्षों को लिखेंगे तथा चर्चा करेंगे कि चिह्नित बच्चों में से कितने बच्चों में सुधार हुआ और कितने बच्चों में सुधार नहीं हुआ। आँकड़ों के निष्कर्ष को बिन्दुवार लिखेंगे तथा इसे ग्राफ, दण्ड आलेख, वृत्त चित्र द्वारा प्रदर्शित करेंगे।

पाठ – 6 (CHAPTER – 6)

सारांश एवं शैक्षिक निहितार्थ

- 6.1. सारांश – प्रशिक्षु इसमें शोध का सारांश लिखेंगे।
- 6.2. शैक्षिक निहितार्थ – क्या शैक्षिक निहितार्थ है? प्रशिक्षु उल्लेख करेंगे।

- 6.3. शोध के दौरान आई कठिनाईयां – क्या कठिनाई है? प्रशिक्षु उल्लेख करेंगे।
- 6.4. वर्तमान शोध एवं पूर्व की शोध की तुलना – इस पर पूर्व में हुए शोध की तुलना करेंगे।
- 6.5. समय सारणी – समय सारणी बनायेंगे।
- 6.6. बजट – बजट का उल्लेख करेंगे। (शोध में लगने वाली राशि)

अंतिम परिशिष्ट (Appendices)

- i. सभी उपकरणों के नमूना को संलग्न करेंगे, जिनका उपयोग शोधार्थी ने किया है।
जैसे – प्रश्नावली
साक्षात्कार
उपलब्धि परीक्षण
केस स्टडी
डायरी
अवलोकन सूची
- ii. सन्दर्भ एवं ग्रन्थ सूची (References & Bibliography)
- iii. तालिकाओं की सूची
- iv. ग्राफ की सूची
- v. समस्या में हस्तक्षेप के दौरान समस्या निवारण हेतु प्रयोग किए संसाधन TLM, E-resources इत्यादि।

मूल्यांकन के प्रश्न

1. एक्शन रिसर्च से क्या समझते हैं? इसके विभिन्न सोपानों की व्याख्या करें।
 2. एक्शन रिसर्च और मौलिक शोध में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए।
 3. एक्शन रिसर्च के कौन-कौन से उद्देश्य हैं? स्पष्ट कीजिए।
 4. शिक्षा में एक्शन रिसर्च क्यों जरूरी है? स्पष्ट करें।
 5. एक शिक्षक के लिए एक्शन रिसर्च की उपयोगिता क्यों है?
 6. एक्शन रिसर्च में शोधार्थी आँकड़ों का संग्रहण कैसे करता है? स्पष्ट कीजिए।
 7. एक्शन रिसर्च के रिपोर्ट लिखने हेतु एक प्रारूप का निर्माण कीजिए।
-

SEP- 2

UNIT-2

(बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन)

बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन प्रशिक्षुओं के लिए विद्यालय अनुभव कार्यक्रम-2 का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत आरंभ के दो सप्ताह के शिक्षण अभ्यास के दौरान प्रशिक्षु यह आकलन कर पाने में समर्थ होंगे कि विद्यार्थियों की समझ का स्तर क्या है? विद्यार्थियों की समझ का स्तर क्या है? विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ क्या हैं? कक्षा में शिक्षण विधियों की उपयुक्तता, छात्रों की प्रगति तथा वर्गीकरण के लिए आवश्यक आधार तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति आदि को जानना है। विश्व में कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण रूपेण एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। इस आधार पर कक्षा के विद्यार्थियों में भी रंग-रूप, कद-काठी, वजन, स्वास्थ्य आदि शारीरिक विशेषताओं के साथ ही मानसिक स्तर में भिन्नता पायी जाती है। विद्यार्थियों की बौद्धिक भिन्नताओं में अंतर के कारण उनकी अधिगम क्षमता में भी अंतर होता है। शैक्षिक दृष्टि से विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता के अनुरूप ही उनके लिए शिक्षा व्यवस्था का नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जाता है। अतः प्रशिक्षुओं को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों के सीखने का विकासक्रम क्या है? अर्थात् बच्चे किस क्रम में सीखते हैं? विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता का पता लगाकर उनके पाठ्य विषय-वस्तु की प्रकृति के अनुरूप शिक्षण व्यूहरचना, शिक्षण विधि और प्रविधि का उपयोग किया जाता है जिससे कक्षा में शैक्षिक आधार पर विद्यार्थियों का वर्गीकरण की जाती है।

बच्चों के सीखने के विकास के अध्ययन के अंतर्गत प्रशिक्षु किसी एक कक्षा के पढ़ने वाले सभी बच्चों का चयन कर उनके सीखने के स्तर को कक्षा सापेक्ष समझेंगे। इस कार्य को दो चरणों में संपन्न किया जाएगा। प्रथम चरण में आरंभ के दो सप्ताह में बच्चों के सीखने का आकलन करेंगे तथा दूसरे चरण में, जो कि 12वें-13वें सप्ताह में होगा, प्रशिक्षु उस कक्षा के बच्चों के पहले के निर्धारित कसौटियों पर आकलन करेंगे एवं इस बात का विश्लेषण करेंगे कि बच्चों के सीखने में सकारात्मक बदलाव आए हैं अथवा नहीं? अगर सकारात्मक बदलाव आए हैं तो कैसे? और यदि नहीं आए हैं, तो क्यों?

प्रशिक्षु 'बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन' विद्यालय अनुभव कार्यक्रम -02 के दौरान चिह्नित प्रयोगशाला विद्यालय(LAB SCHOOL) में करेंगे।

उद्देश्य :-

- (1) डी०एल०एड के प्रशिक्षुओं में बच्चों के सीखने के अध्ययन की समझ विकसित करना।
- (2) डी०एल०एड प्रशिक्षुओं में सीखने-सिखाने के विभिन्न तरीकों को विकसित करना।
- (3) डी०एल०एड प्रशिक्षुओं में सीखने की योजना से संबंधित कौशलों का विकास करना।
- (4) डी०एल०एड प्रशिक्षुओं में बच्चों के सीखने के तरीकों को समझने के लिए आकलन संबंधी विभिन्न कौशलों को विकसित करना।
- (5) प्रशिक्षुओं की शिक्षण-कुशलता तथा उनकी सफलता की जाँच करना।

प्रशिक्षुओं को इस बात की जानकारी अथवा समझ पूर्णता के साथ होनी चाहिए कि बच्चे किस क्रम में सीखते हैं। अधिक बुद्धिलब्धि(I.Q) वाले विद्यार्थी कम बुद्धिलब्धि की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से सीखते हैं। इस दृष्टि से शिक्षण-व्यूह रचना तथा उसके अनुरूप शिक्षण-विधियों सहित नवाचार का उपयोग करना अपेक्षित है। इसका प्रतिफल सकारात्मक होगा। बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन की दृष्टि से प्रशिक्षुओं को आकलन व मूल्यांकन की विविध पद्धतियों की जानकारी भी आवश्यक है। सामान्य/औसत कठिनाई स्तर के प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों के स्तर का आकलन किया जा सकता है और इसके आधार पर इन कार्यों से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस कक्षा का चयन रिपोर्ट तैयार करने के लिए की जाए, उसी कक्षा के लिए सीखने की योजना(Learning Plan) तैयार करके उस कक्षा में ही शिक्षण कार्य किया जाए।

बच्चों के सीखने के विकास के अध्ययन की एक रूपरेखा नीचे दी जा रही है जिसके आधार पर सीखने के विकास कर अध्ययन कर सकते हैं।

अनुलग्नक-संलग्न।

SEP-02

बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन

(आरम्भ के दो सप्ताह)

प्रथम चरण

तिथि:— / /

❖ प्रशिक्षु का नाम:—

❖ क्रमांक:— सत्र:— 2021—.2023

● विद्यालय का नाम:—

● चयनित बच्चों की संख्या(कम से कम 10):—

● सीखने के क्षेत्र: संज्ञानात्मक (मानसिक)

भावनात्मक(भावना / मूल्य)

मनोगत्यात्मक(शारीरिक)

● सीखने की योजना के आधार पर चयनित बच्चों का आकलन:—

● सीखने की प्रगति किन-किन क्षेत्रों में है।

हस्ताक्षर

प्रशिक्षु का नाम

रौल न0

सत्र

.....

.....

.....

.....

ऑकड़ो का संग्रहण(Data Collection):-

क्र० सं०	बच्चों का नाम	पिता का नाम	उम्र	वर्ग	सीखने का क्षेत्र	अभिरुचि	अभियुक्ति
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

- ऑकड़ो का विश्लेषण—(बच्चों ने किन क्षेत्रों में प्रगति की है, अगर हाँ तो कैसे? नहीं तो क्यों नहीं?):—

द्वितीय चरण (अंतिम बारहवें—तेरहवें सप्ताह)

- प्रथम चरण में किए आकलन के आधार पर दूसरे चरण में उनका तुलनात्मक आकलन करना एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करना:—

हस्ताक्षर

.....

प्रशिक्षु का नाम

.....

रौल न०

.....

सत्र

.....

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम-2 (SEP- 2)

3.बच्चों के सहशैक्षिक विकास का अध्ययन

Unit-3

परिचय:-

प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक अनुभव को प्राप्त कर उसे अपने शिक्षण में मूर्त रूप देने के उद्देश्य से विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के चार माह का इंटर्नशीप का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न विषयों के शिक्षण कार्य सहित विद्यार्थियों के सह-शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन द्वारा उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास का दायित्व भी उन पर ही है। विद्यालय में विषयों के शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक पक्ष अर्थात् बौद्धिक क्षमता का विकास होता है परन्तु विकास के अन्य पक्षों तथा सामाजिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, सांवेगिक एवं आध्यात्मिक व नैतिकता आदि की दृष्टि से सह शैक्षिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ की जाती हैं। यदि इनमें से किसी भी पक्ष का अपेक्षित विकास न होगा तो विद्यार्थियों को भावी जीवन में कठिनाई होगी। सह शैक्षिक विकास के लिए गतिविधियाँ सतत रूप से अकादमिक गतिविधियों के साथ-साथ निरन्तर चलती रहती हैं, जिससे विद्यालय में विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को विकसित करने में सहज रूप से मदद मिलती है। इस आधार पर पाठ्योत्तर गतिविधियाँ भी हमारे विद्यालयी जीवन का अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जिसके विविध पक्षों से प्रशिक्षुओं को अवगत होना नितांत आवश्यक है। विद्यालय में बच्चों के सहशैक्षिक विकास के द्वारा ही बौद्धिक कौशलता, सामाजिक कौशलता, संवेदनाएँ और नैतिक मूल्यों सहित सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास का मार्ग प्रशस्त हो पाता है। प्रथम वर्ष के विद्यालय अनुभव कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षु कक्षा शिक्षण व गतिविधियों के अवलोकन एवं विद्यालय में बच्चों से बातचीत के माध्यम से पूर्ण अवगत रहते हैं। इस अनुभव कार्यक्रम में विभिन्न कालांशों में अध्यापन के द्वारा वे विद्यार्थियों के लिए शिक्षण कार्य करते हुए उनके सह-शैक्षिक गतिविधियों का अध्ययन करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उसे अपने प्रशिक्षण संस्थान में जमा करेंगे।

इस कार्य को पूर्ण करने की अवधि में वह अपने मेंटर अथवा प्रशिक्षण से आवश्यक मार्गदर्शन एवं सुझाव भी प्राप्त करेंगे।

उद्देश्य:-

बच्चों के सह शैक्षिक विकास के अध्ययन द्वारा प्रशिक्षुओं को शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को अवगत कराना है। शिक्षकों को ऐसी समझ होनी चाहिए जिससे वे बच्चों के सह शैक्षिक पक्षों के विकास को प्रोत्साहित कर सकें। शिक्षक अपनी कक्षा के बच्चों की संधारणीय विकास की क्षमता और उसमें निहित कौशलों की संभावनाओं का पता लगाकर उनके लिए योग्य व अनुकूल गतिविधियों से जोड़कर उन्हें प्रेरित कर सकें। इस दृष्टि से प्रशिक्षुओं को विषय के साथ सह शैक्षिक गतिविधियों के विभिन्न घटकों यथा उन्हें संचालित करने, उनका प्रबंधन करने और इस दिशा में उनमें पर्याप्त कौशलता विकसित करने का उद्देश्य समाहित है।

पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन संबंधी तालिका

गतिविधि	तिथि व अवधि	सहभागी छात्र सं०	भाग नहीं लेने वाले विद्यार्थियों की सं०
1.खेलकूद			
2.सामाजिक			
3.साहित्यिक			
4.सांस्कृतिक			
5.पर्यावरण			
6.अन्य यथा शैक्षिक भ्रमण इत्यादि			

विषय-वस्तु:-

विद्यार्थियों में सृजनात्मक श्रमताओं का आकलन प्रशिक्षुओं द्वारा किया जाना है। बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता पायी जाती है। उनमें सृजनात्मक क्षमता की अभिव्यक्ति भी भिन्न-भिन्न होती है। चित्रकला, पेंटिंग, कला, हस्तकला आदि द्वारा बालक को सृजनशीलता के अवसर दिये जाते हैं। बच्चों को लिखने की अभिव्यक्ति के अवसर देकर सृजनशीलता को विकसित किया जा सकता है। नृत्य की सृजनशीलता गव्यात्मक अभिव्यक्ति द्वारा दी जा सकती है। कलात्मक वस्तुओं का सृजन तथा उनकी प्रशंसा भी सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। प्रशिक्षुओं के द्वारा बच्चों से संवाद करके उनकी रुचि, सृजन के क्षेत्र आदि का आकलन किया जायेगा। बच्चों की क्षमताओं के आकलन के लिए अलग-अलग गतिविधि का आयोजन कर उनका वर्गीकरण किया जायेगा उदाहरण स्वरूप।

शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी गतिविधि :- इसके अंतर्गत दो प्रकार के खेल आयोजित किये जा सकते हैं – इंडोर गेम्स जैसे- शतरंज, बैडमिंटन, टेनिस, आदि में विद्यार्थियों की सहभागिता करायी जा सकती है। वहीं आउटडोर गेम्स जैसे- एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी आदि खेलों में विद्यार्थियों के समूह बनाये जा सकते हैं। खेल संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देकर छात्रों में नेतृत्व कौशल, टीमवर्क, आपसी सहयोग व समन्वय के गुणों का विकास किया जा सकता है। खेल गतिविधि को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विद्यालय स्तर की शैक्षिक सिद्धांतों को व्यवहार में अपनाने का प्रयास है। छात्रों में समयनिष्ठा एवं अनुशासन जैसे मूल्यों को आत्मसात् कराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रशिक्षणार्थी विद्यालय में बच्चों के सहशैक्षिक पक्ष के विकास की दृष्टि से छात्र-छात्राओं की टीम का निर्माण कर, प्रतियोगिता का आयोजन कर, उसकी योजना एवं क्रियान्वयन रिपोर्ट तैयार कर सकेंगे। खेल संबंधी गतिविधियों के आयोजन के लिए आवंटित विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनुमति/स्वीकृति अवश्य प्राप्त करने है तथा मॉटर से संबंधित कार्य हेतु मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले छात्र/छात्राओं के लिए भी इन गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है। प्रेरणा की दृष्टि से विद्यार्थियों को पारा ओलिम्पिक के विडियोज दिखाये जा सकते हैं। स्थानीय स्तर के खेलों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।

फिटनेस को एक आजीवन दृष्टिकोण के रूप में अपनाने और फिट इंडिया मूवमेंट के द्वारा संबंधित जीवन कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ऐसे भी शिक्षा में खेलों के समन्वय की आवश्यकता को बहुत पहले से पहचाना जा चुका है। विद्यालयों में योग की गतिविधियों से भी बच्चों को स्वास्थ्य लाभ के साथ शारीरिक रूप से सक्रिय रखा जा सकता है।

सामाजिक विकास संबंधी गतिविधि:- प्रशिक्षुओं द्वारा विद्यार्थियों के सामाजिक विकास की दृष्टि से अनेक गतिविधियाँ सहशैक्षिक विकास को ध्यान में रखते हुए संपन्न की जा सकती हैं, जिसमें श्रमदान कार्यक्रम प्रमुख है। जिसके द्वारा श्रम की महत्ता की भावना का वीजारोपण किया जा सकता है। स्वच्छता अभियान में विद्यालय परिसर एवं कक्षा की साफ-सफाई के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा सकता है। समूह में कार्य करते हुए आत्मनिर्भरता एवं नेतृत्व के गुणों का विकास भी सहज ही किया जा सकेगा। सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियाँ विद्यार्थियों में समुदाय के प्रति जुड़ाव को बढ़ावा देगी। विद्यालय में स्काउट एवं गाइड के रूप में विद्यार्थियों को सम्मिलित कर विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा सकती हैं। अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक साफ-सफाई/स्वच्छता, टीमवर्क, और सहयोग इत्यादि पर इन क्रियाकलापों में ध्यान केंद्रित कर बच्चों का समग्र विकास कर सकते हैं। बाल संसद, मीना मंच, पर्व-त्योहारों पर, साफ-सफाई आदि कार्यक्रम भी कराए जा सकते हैं।

साहित्यिक क्षेत्र से सम्बद्ध पाठ्य सहगामी क्रियाएँ:- कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त विद्यालय में विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास की दृष्टि से ऐसी अनेक गतिविधियाँ हैं जो एक प्रकार से साधन का काम करती हैं और जिसके माध्यम से हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रचलित उक्ति-“साहित्य संगीत कला विहिन। साक्षात् पशु समानहीन” छात्रों में विभिन्न कौशलों से युक्त नागरिक बनने की ओर प्रेरित करती हैं। प्रशिक्षुओं से अपने विद्यार्थियों में से उन्हें इन गतिविधियों में शामिल करने की अपेक्षा की जाती है जिसमें साहित्यिक रचना, कला क्षेत्र जैसे कौशलों में रुचि का प्रदर्शन करते हो। विभिन्न मुद्दों पर छात्रों के बीच आपस में वाद-विवाद प्रतियोगिता, कहानी लेखन, अखबार, स्कूल मैगजीन, नारा लेखन, गायन, पेंटिंग, चित्रकारी, कैलीग्राफी (सुंदर हस्तलेख), नृत्य, नाटक, गतिविधियों को आयोजित की जा सकती है। इन गतिविधियों में भाग लेकर छात्र/छात्राओं को भविष्य में कैरियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

सांस्कृतिक मूल्य संबंधी सहशैक्षिक गतिविधियाँ:- विद्यार्थियों के सहशैक्षिक पक्षों को निखारने की दृष्टि से प्रशिक्षु अन्य गतिविधियाँ आयोजित कर सकेंगे जिनका केन्द्र छात्रों के मनोरंजन सहित सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना होगा। भारत की बहुरंगी संस्कृति एवं विविधता को ध्यान में रखते हुए दृश्य एवं प्रदर्शनकारी कलाओं के अन्तर्गत पेंटिंग, चित्रकारी, रंगोली निर्माण, क्ले माडलिंग, कैलीग्राफी(सुंदर हस्तलेखन), ICT की सहायता से फोटोग्राफी, मॉडल मेकिंग विद्यालय में आयोजित किये जा सकते हैं। वहीं एकल गायन, समूह गायन, संगीत, नृत्य, नाटक, मूकअभिनय संवाद/डायलाग, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता जैसी गतिविधि आयोजित होगी। लोककला, लोकगायन, लोकसंवाद में स्थानीय भाषा व बोली को समाहित करते हुए स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। राष्ट्रीय व लोक संस्कृति से जुड़े पर्व-त्योहारों का विद्यालय स्तर पर आयोजन, महत्वपूर्ण जयन्तियों एवं दिवसों यथा –राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, पर्यावरण दिवस, बाल दिवस, खेल दिवस, हाथ धुलाई दिवस, बालिका दिवस, ओजोन दिवस, खाद्य सुरक्षा दिवस आदि के माध्यम से विद्यार्थियों की तत्संबंधी कौशलों का विकास यथेष्ट रूप से की जा सकेगी। इन गतिविधियों से जुड़कर शौक एवं कैरियर निर्माण के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

पर्यावरण संबंधी गतिविधियाँ :- पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। इसके प्रति हमारी सजगता एवं योगदान की महज आरम्भित अवस्था से होनी चाहिए। प्रशिक्षुओं से अपेक्षा है कि पर्यावरण के प्रति बोध, उसके संरक्षण एवं सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को दृष्टिगत करते हुए इससे संबंधी गतिविधियाँ विद्यालय एवं समुदाय के स्तर पर छात्रों की सहभागिता से संपन्न की जा सकती हैं। विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण, जलसंरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, प्रकृति प्रेम को केन्द्र बिन्दु बनाकर जल जीवन हरियाली के प्रति भी विद्यार्थियों को उन्मुख किया जा सकता है। इन गतिविधियों से जुड़ी प्रदर्शनी, बालमेला, परियोजना कार्य छात्रों के सहशैक्षिक पक्षों को उन्नत करने में सहयोग करेंगे।

बच्चों के सहशैक्षिक विकास के अध्ययन द्वारा प्रशिक्षुओं के व्यक्तित्व विकास के साथ पढ़ाई और शौक के बीच संतुलन बनाने का कौशल विकसित कर पाते हैं। सहशैक्षिक विकास से प्राप्त कौशल पूँजी के रूप में आजीवन छात्र के साथ रहती हैं। इन गतिविधियों में ज्यादातर लक्ष्य उन्मुख है। एक कॉमन लक्ष्य के लिए मिलकर काम करना पड़ता है जिससे आपसी तालमेल, सौहार्द एवं भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को सजग बनाया जाता है। विद्यार्थियों में कक्षा शिक्षण उत्पन्न मानसिक थकान अथवा ऊब को दूर कर उन्हें ऊर्जावान बनाने में ये सभी गतिविधियाँ उपयोगी एवं कारगर सिद्ध होगी, जो विद्यार्थियों के लिए एनर्जी बूस्टर का कार्य करेगी। ध्यान रखें कि सभी विद्यार्थियों की सहभागिता हो और गतिविधियों के आयोजन में नवाचार को बढ़ावा मिले।

1. प्रशिक्षुओं से अपेक्षा है कि विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के कुल सोलह सप्ताह की अवधि में चौदह सप्ताह में ही विद्यालय के अंदर उपरोक्त गतिविधियाँ का आयोजन करेंगे।
2. उपरोक्त वर्णित सहशैक्षिक विकास के अध्ययन क्रम में कम से कम दस विद्यार्थियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे।
3. अध्ययन क्रम में प्राप्त तथ्यों/ऑकड़ों आदि के आधार पर प्राप्त परिणामों को दृष्टिगत कर कार्ययोजना निर्मित करते हुए क्रियान्वित करेंगे।
4. पूरी प्रक्रिया से संबंधी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र में जमा करना अनिवार्य है।
5. इन कार्यों को पूरा करने में आप अपने मेंटर, संस्थान के प्रशिक्षक और आवंटित विद्यालय के प्रधानाचार्य से आवश्यकतानुसार सुझाव व मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

- संदर्भसूची
1. एन.सी.ई.आर.टी कला शिक्षक की शिक्षक संदर्शिका, नई दिल्ली
 2. डॉ. दूबे सत्यनारायण , अध्यापक शिक्षा, इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2000
 3. जे. कृष्णमूर्ति 2010 संस्कृति का प्रश्न, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया वाराणसी
 4. गाँधी एम.के.1951 बेसिक एजुकेशन, नवजीवन पब्लिकेशन हाउस
 5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की रिपोर्ट

SEP-02
बच्चों के सह-शैक्षिक विकास का अध्ययन
FIRST STEP

तिथि:— / /

❖ प्रशिक्षु का नाम :—

❖ क्रमांक:— सत्र:— 2021–2023

- विद्यालय का नाम:—
- गतिविधि का नाम:—
- चयनित बच्चों की संख्या(कम से कम):—
- बच्चों का विवरण:—

क्र० सं०	बच्चों का नाम	पिता का नाम	उम्र	वर्ग	अभिरुचि	अभियुक्ति
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

- सह-शैक्षिक गतिविधियों का आकलन:—

हस्ताक्षर

प्रशिक्षु का नाम

रोल न०

सत्र

.....

.....

.....

.....

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम-2 (SEP-2)

Unit-4

04. सामुदायिक कार्य

प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं के लिए विद्यालय अनुभव कार्यक्रम (SEP-02) के अन्तर्गत सोलह सप्ताह में से दो सप्ताह की अवधि सामुदायिक कार्य के लिए निर्धारित की गयी है। समाज, छात्र, सहकर्मी, मेंटर प्रशिक्षक जैसे विभिन्न हितधारकों सहित समुदाय के संबंध में अनुभव प्राप्त कर उसके प्रति संवेदनशील होना, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक रूप से अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सकें। सामान्य तौर पर समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के उस पड़ोस से है जिसमें वे निवास करते हैं। यह व्यक्तियों के वैसा समूह है जिसमें आपसी भावना के जागृत हो जाने से किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए लोग निवासरत होते हैं। समुदाय का क्षेत्र बड़ा या छोटा हो सकता है तथा इसकी प्रकृति वहाँ के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक समानताओं पर निर्भर करती है। समुदाय शिक्षा संस्थान के अनौपचारिक रूप में विद्यार्थियों को शिक्षित भी करता है। प्रत्येक छात्र/छात्राओं पर समुदाय का असर अथवा प्रभाव रहता है। विद्यालय और समुदाय के बीच भागीदारी होने से विद्यालय की शैक्षिक और प्रशासनिक गतिविधियों का प्रभावी प्रबंधन हो पाता है। इस दृष्टिकोण से प्रशिक्षुओं को आवंटित विद्यालय के समुदाय की प्रकृति, अपेक्षाएँ, चुनौतियाँ आदि को समझने और उनकी बेहतरी के लिए कुछ सामुदायिक सेवा कार्यों को भी करना है और उसकी विस्तृत रिपोर्ट भी प्रशिक्षण केन्द्र पर जमा करनी है।

- उद्देश्य:—**
1. प्रशिक्षुओं को विद्यालय एवं समुदाय की भागीदारी के विचार दर्शन से अवगत कराना।
 2. एक शिक्षक के रूप में समुदाय की जरूरतों को समझ पाना।
 3. प्रशिक्षुओं को समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंध बनाये रखने का प्रशिक्षण प्रदान करना।
 4. शिक्षक अभिभावक समिति, विद्यालय शिक्षा समिति, आदि के कार्यों से अवगत कराना।

विषय-वस्तु:— भारत में विभिन्न शिक्षा आयोग सहित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भी विद्यालय और समुदाय की भागीदारी पर बल दी गयी है। प्रशिक्षुओं को भविष्य में एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाने की दृष्टि से कार्य करना है और ऐसा करने के लिए स्थानीय परिवेश आपको कई परिस्थितियाँ और अवसर देता है। बाहरी परिवेश का उपयोग करने से शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया को दैनिक जीवन से जोड़ने में मदद मिलती है। स्थानीय समुदाय और उसके संसाधनों का उपयोग करके विद्यार्थियों को आपके द्वारा पढ़ाई गयी अवधारणाओं एवं विचारों से दिन-प्रतिदिन की समस्याएँ हल करने में एवं अपना जीवन अधिक प्रभावी ढंग से जीने एवं सामंजस्य स्थापित करने में भी मदद मिलती है। एक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षु को भी विद्यालय की उन गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए जिनके लिए समुदाय के नेताओं, शिक्षाविदों, दानदाताओं, व्यावसायिकों, कुशल कारीगरों व समाजसेवियों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। प्रत्येक प्रशिक्षु को अपने आवंटित विद्यालय के आस-पास के समुदाय में कोई वैसा सामाजिक कार्य करना है, जो वहाँ की आवश्यकता के अनुरूप हो। इस कार्य को प्रशिक्षु अपने विद्यालय के अन्य शिक्षक, बच्चे अथवा प्रशिक्षुओं के समूह द्वारा भी संपन्न कर सकते हैं। इन सामुदायिक कार्यों के अन्तर्गत स्वच्छता अभियान अर्थात् कक्षीय परिवेश में साफ-सफाई, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता कार्यक्रम, महिला-शिक्षा कार्यक्रम, किशोर शिक्षा कार्यक्रम, वृक्षारोपण अभियान, शराबबंदी/नशाबंदी जागरूकता अभियान, महामारी नियंत्रण संबंधी जागरूकता, बाल-विवाह, बाल-श्रम, सड़क-सुरक्षा, जल-संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, खाद्य-सुरक्षा (भोजन की बर्बादी रोकने), वैज्ञानिक चेतना कार्यक्रम, संवैधानिक दायित्वों अर्थात् संविधान दिवस कार्यक्रम आदि का आयोजन कर समुदाय को लाभान्वित किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों में स्थानीय नागरिकों का सहयोग तथा मेंटर अथवा प्रशिक्षक का सुझाव व मार्गदर्शन प्राप्त करना कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करेगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम अथवा स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यक्रमों को एकीकृत कर भी संपन्न किया जा सकता है। समुदाय से स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग के निवेदन द्वारा भी कार्यक्रम से संबंधित सामान्य संसाधनों के आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। प्रशिक्षुओं के लिए सामुदायिक कार्य से संबंधित कार्यक्रम का बैनर अथवा पोस्टर बनाकर यथोचित स्थान पर लगाने से सकारात्मक माहौल व जनजागरूकता बढ़ाने में प्रभावी सफलता मिल सकेगी।

उपरोक्त सामुदायिक कार्य के साथ-साथ प्रशिक्षुओं को व्यक्तिगत तौर पर अपने घर के आस-पड़ोस के किसी एक परिवार का चयन कर उसके शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण करके एक रिपोर्ट तैयार करनी है। जिसके अन्तर्गत निम्न उपशीर्षक निर्मित किये जा सकते हैं। जैसे:-

1. परिवार के मुखिया का नाम
2. परिवार की कुल सदस्य संख्या
3. लिंग के आधार पर स्त्री/पुरुष की सं०
4. परिवार के सदस्यों की उम्र व उनकी शैक्षिक योग्यता
5. परिवार के सदस्यों का पेशागत विवरण
6. परिवार के सदस्यों की शैक्षिक आकांक्षाएँ
7. सदस्यों की शिक्षा के प्रति रुचि
8. पारिवारिक सदस्यों को उपलब्ध शैक्षिक समाज
9. पारिवारिक सदस्यों को शिक्षा प्राप्ति के लिए किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा
10. परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि
11. पारिवारिक सदस्यों की शिक्षा के प्रति भविष्य की योजनायें
12. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रशिक्षु का शैक्षिक विकास हेतु स्वयं का मंतव्य

सामुदायिक कार्यों के अन्तर्गत सामान्य कार्यक्रम जैसे विभिन्न आयोजन तथा शैक्षिक स्थिति पर रिपोर्ट की तैयारी चतुर्थ सत्र के किसी भी दो सप्ताह में पूरा किया जाना चाहिए। जिसके संबंध में विद्यालय प्रधानाध्यापक, मेंटर अथवा प्रशिक्षक का सहयोग भी अपेक्षित है जो मार्गदर्शन, सुझाव एवं स्वैच्छिक रूप से कार्यक्रम में सहभागिता के रूप में भी हो सकती है।

ई संसाधन :- www.swachhbharatmission.gov.in

jalashakti-ddws.gov.in

<http://cnx.org/content/m14429/1.3>

संदर्भ सूची:- 1. फियोरे डगलस जे 2006 विद्यालय कम्युनिटी रिलेशनस, आई आन एजुकेशन इंक एन वाई

2. बालेन्जर, जे (अगस्त, 2010) How to develop communication/vidyalaya community relation plan

3. भारत सरकार (2003), एजुकेशन फार आल, नेशनल प्लान आफ एक्शन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

SEP-02

सामुदायिक कार्य (Community Work)

समय:- दो सप्ताह

तिथि:- / /

❖ प्रशिक्षु का नाम:-

❖ क्रमांक:- _____

सत्र:- 2021-2023

- विद्यालय का

नाम:- _____

- गतिविधि का

नाम:- _____

(उदाहरण: जैसे- सामुदायिक कार्य, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति समुदाय में जागरूकता, स्वच्छता, समाज सुधार अभियान, नशामुक्ति, बाल-विवाह एवं दहेज प्रथा, साइबर जागरूकता आदि में से किसी एक पर)

- गाँव/टोला/वार्ड का नाम एवं पता:-

- समुदाय का विवरण(50-100 शब्दों में):-

- समुदाय की अपेक्षाएँ (50 शब्दों में):-

- समुदाय की चुनौतियाँ (50 शब्दों में):-

हस्ताक्षर

प्रशिक्षु का नाम

रोल न0

सत्र

.....

.....

.....

.....

द्वितीय सप्ताह

पड़ोस में चयनित एक परिवार की शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण

क्र० सं०	सदस्य का नाम	माता/पिता का नाम	शैक्षिक योग्यता	अभियुक्ति
1.				
2.				
3.				
4.				

- सदस्यों को शिक्षा प्राप्त करने में आई चुनौतियाँ:-

- सदस्यों की शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण:-

- उक्त परिवारों के शैक्षिक विकास के लिए सुझाव/मंतव्य:-

हस्ताक्षर

प्रशिक्षु का नाम

रोल न०

सत्र

.....

.....

.....

.....

- सामुदायिक कार्यों का क्रियान्वयन:-

- सामुदायिक कार्यों में आनेवाली चुनौतियाँ:-

- आपके सुझाव एवं मंतव्य:-

हस्ताक्षर

प्रशिक्षु का नाम

रौल न0

सत्र

.....

.....

.....

.....

सीखने के प्रतिफल

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम-02

विद्यालय अनुभव कार्यक्रम-02 के उपरांत डी.एल.एड. प्रशिक्षुओं में निम्नांकित सीखने के प्रतिफल प्राप्त होंगे।

1. शिक्षण अभ्यास के विभिन्न चरणों का कक्षा-कक्ष में उपयोग करते हैं।
2. क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से शैक्षिक समस्याओं का हल प्राप्त करते हैं।
3. सीखने के विकास का अध्ययन के द्वारा कक्षा के विद्यार्थियों का आकलन करते हैं।
4. बच्चों के सहशैक्षिक विकास का अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों की सहभागिता कराते हैं।
5. सामुदायिक कार्य के माध्यम से सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं।
6. सामुदायिक कार्य के माध्यम से परिवार की शैक्षिक स्थितियों का आकलन व विश्लेषण करते हैं।

संदर्भ सूची:-

1. फियोरे डगलस जे 2006 विद्यालय कम्युनिटी रिलेशन्स, आई आन एजुकेशन इंक एन वाई
2. बालेन्जर, जे (अगस्त,2010) How to develop communication/vidyalaya community relation plan
3. भारत सरकार (2003), एजुकेशन फार आल, नेशनल प्लान आफ एक्शन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली